विपणन संघ

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.,
880, सिविल लाईन्स, मुख्यालय– रायपुर.

कमांक/स्था.वि./ 5400 /2016 रायपुर, दिनांक : 06.12.2016

क्षेत्र सहायक एवं लेखापाल के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के इच्छुक उम्मीदवारों से क्षेत्र सहायक एवं लेखापाल (तृतीय श्रेणी) के पद पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। अतः वांछित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी **दिनांक 20.12.2016 से** ऑन लाईन आवेदन व्यापम के वेबसाईट **CG.vyapam.choice.gov.in** पर कर सकते है।

रिक्त पदों का विवरण –

क्षेत्र सहायक – पदों की संख्या – 100

क.	संवर्ग का नाम	पदों की संख्या	महिला वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद
1.	अनुसूचित जाति	12	04	01	06	06 (OA,OL,HH)
2.	अनुसूचित जनजाति	32	10	03	17	
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	14	04	01	08	
4.	अनारक्षित	42	13	04	23	
	कुल योग –	**100**	**31**	**09**	**54**	

लेखापाल – पदों की संख्या – 40

क.	संवर्ग का नाम	पदों की संख्या	महिला वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद
1.	अनुसूचित जाति	05	01	–	04	02 (OA,OL,HH)
2.	अनुसूचित जनजाति	13	04	01	08	
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	05	01	–	04	
4.	अनारक्षित	17	05	02	08	
	कुल योग –	**40**	**11**	**03**	**24**	

Abbreviations Used :- OA- One Arm, OL - One Leg, HH-Hearing Handicaped

यह नियुक्तियाँ माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर, के रिट पिटिशन कमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होंगी।

छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा समय–समय पर शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना अनुसार शिथिलनीय होंगी।

व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया विपणन संघ द्वारा की जावेगी।

कमशः 2

त्रुटि सुधार के लिए हार्ड कॉपी/साफ्ट कॉपी में भेजा गया कोई भी आवेदन व्यापम द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र एवं ओ.एम.आर. उत्तरशीट की प्रविष्टियों में अंतर पाए जाने पर उत्तरशीट की प्रविष्टियों के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा। परीक्षा के दिन उत्तरशीट में (**Answer Sheet**) में श्रेणी (**Category**), वर्ग (**Class**), जन्म तिथि (**Date Of Birth**), आदि में की गई प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किये जायेंगे। परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार संबंधी कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आवेदन पत्र भरने से पहले आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़े तथा सेम्पल फार्म (नमूना आवेदन पत्र) का अवलोकन करें।

:: भाग – अ ::

नियम एवं शर्तें –

(1) वेतनमान –

(अ) लेखापाल का नियमित वेतनमान रू 5200–20200+ ग्रेड वेतन 2400/– प्रतिमाह एवं विपणन संघ द्वारा समय–समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता देय होगा।

(ब) क्षेत्र सहायक का नियमित वेतनमान रू 5200–20200+ ग्रेड वेतन 1900/– प्रतिमाह एवं विपणन संघ द्वारा समय–समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता देय होगा।

(2) शैक्षणिक अर्हता –

(अ) **लेखापाल पद हेतु** – कामर्स स्नातक एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र।

(ब) **क्षेत्र सहायक पद हेतु** – स्नातक एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र।
केन्द्र/राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षा संस्थान का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
विज्ञापन तिथि पर शैक्षणिक अर्हता पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।

(3) दिनांक 01.01.2016 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो।

(4) अन्य विशेष वर्ग जैसे – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला एवं विकलांग आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो शासन द्वारा छूट दी गई है वे छूट लागू रहेगी, परन्तु उपरोक्त सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

उच्चतम आयु सीमा में छूट :–

(1) **निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :–**

(4) एक (1) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

(2) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/एफ–7–26–93/1/आ.प./ दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत् आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

(3) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कन्टिनजेन्सी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत् कार्यरत् कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

क्रमशः 3

(4) ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उसके परिणामस्वरूप आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :– 'छटनी किये गये शासकीय सेवक, से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया है।

(5) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतीक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले यह अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक न हो।

(6) महिलाओं के लिए आयु में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी।

(7) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–1–2/02/1/3 दिनांक 02.06.04 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा वह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी जिन वर्गो को पूर्व से ही आयु सीमा में विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है। (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

(8) स्वयं सेवा नगर सैनिकों (वालेन्टरी होम गार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामलें में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(9) विधिवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

(4) दो (1) आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत् पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप :– (1) बिन्दु क्रमांक 3(एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिन्दु क्रमांक 3(दो) के अंतर्गत् प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत् दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

(4) (अ) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत् आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण–पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ब) उपरोक्त कंडिका 4 एक (1), 4 एक (2), 4 एक (3), 4 एक (4), 4 एक (5), 4 एक (7), 4 एक (8) के अंतर्गत् उत्तम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

(स) कंडिका – 4 (एक) (9) के अंतर्गत् उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए विधिवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों के द्वारा सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण–पत्र।

क्रमशः 4

(द) कंडिका – 4 दो (1) के अंतर्गत् आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का प्रमाण–पत्र।

(य) कंडिका – 4 दो (2) के अंतर्गत् आयु सीमा में छूट के लिए "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त होने का प्रमाण–पत्र।

(5) **आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है (प्रमाण–पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है)।**

(6) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को जाति के समर्थन में शासन के सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(7) उक्त दोनों पदों के लिए व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।

(8) उपरोक्तानुसार संवर्गवार पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकेगी।

(9) क्षेत्र सहायक एवं लेखापाल पद हेतु लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के अनुसार चयन केवल मेरिट के आधार पर किया जावेगा।

(10) विज्ञापित पदों पर नियुक्ति प्रथमतः दो वर्षो की परिवीक्षा अवधि पर की जायेगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि समाप्त की जा सकेगी, अन्यथा परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है अथवा सेवा भी समाप्त की जा सकती है।

(11) आरक्षण के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश लागू होंगे।

(12) प्रत्येक पद हेतु आवेदन पृथक–पृथक प्रस्तुत करना होगा।

(13) शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों को अपना नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण–पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(14) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(15) भर्ती की प्रकिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय रायपुर को होगा।

(16) ऑन लाईन आवेदन में दी गई जानकारी की समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां नियुक्ति के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(17) यह विज्ञापन माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक WP(227)/431/2013 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

सचिव
छ.ग. राज्य सह. विप. संघ मर्या.,
रायपुर (छ.ग.)

:: भाग – स ::

क्षेत्र सहायक परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अवधि तथा प्रश्नों की संख्या

समय : 3.00 घंटे
प्रश्न संख्या : 150
प्रति प्रश्न : 01 अंक
कुल अंक : 150

पाठ्यक्रम –

लेखा संबंधी – लेखांकन की प्रणाली, बैंक समाधान का विवरण, तलपट व्यापार, लाभ–हानि खाता, विस्तृत विवरण, अपूर्ण लेखों का खाता मिलान, गैर व्यापारिक संस्थओं का लेखा बनाना, साझेदारी लेखा बनाना, संयुक्त साहस लेखा बनाना, कम्पनी संबंधी लेखा बनाना, लेखांकन का सैद्धांतिक आधार, अंतिम लेखे तैयार किया जाना, त्रिस्तंभी रोकड़ बही तैयार करना।

भारत का इतिहास, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, प्रमुख खेल एवं संबंधित जानकारिया, पुरूस्कार एवं सम्मान राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय, साहित्य (कृतियां एवं उनके लेखक) छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सामान्य ज्ञान, सामायिक घटना चक्र राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय, सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण।

भारतीय अर्थ व्यवस्था– राष्ट्रीय आय, आयोजना, पंचवर्षीय योजनाएं, भारत की प्राकृतिक संसाधन, भारत में विकास एवं रोजगार कार्यक्रम, भारतीय कृषि, भारतीय उद्योग औद्योगिक नीति, भारत में विदेशी पूंजी और विदेशी सहायता, भारत में बैंकिंग प्रणाली, औद्योगिक वित्त, आदि।

अंक गणित एवं तार्किक योग्यता (संख्या पद्धति, कारिणी, घातांक, भिन्न एवं दशमलव भिन्न, सरलीकरण, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, लाभ हानि, औसत, अनुपात एवं समानुपात, साधरण एवं चक्रवृद्धि ब्याज) भाषिक तार्किक विश्लेषण, अभाषिक तार्किक विश्लेषण।

कम्प्यूटर ज्ञान संबंधी – कम्प्यूटर का उपयोग, कम्प्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिन्टर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माईक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत् वर्ड, एक्सल एवं पॉवर पाईन्ट की जानकारी, इन्टरनेट के उपयोग, ई–मेल, डाक्यूमेंट सर्चिंग वेबसाईट सर्चिंग, विभिन्न विभागों के वेबसाईट की सामान्य जानकारी, एन्टी वायरस का उपयोग, मल्टीमिडिया का उपयोग, सी.डी./डी.वी.डी. से संबंधित सामान्य जानकारी एवं गूगल, अलविस्ता, यू–ट्यूब की सामान्य जानकारी।

हिन्दी भाषा – स्वर व्यंजन वर्तनी, लिंग वचनकाल, संज्ञा, सर्वनाम विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण कारक, समास रचना एवं प्रकार, संधि–स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि, रस व अलंकार, दोहा, छंद सोरठा, व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द मुहावरें व लोकोक्तियां।

अंग्रेजी भाषा – Number Gender Articles pronoun adjectives verb adverb use of some important conjunctions use of some importnat preposition active/passive voice disrect/indirect narration synonyms/antonyms, one word substitution, spelling, proverb idioms and phrases.

क्रमशः 8

सामान्य ज्ञान – भारतीय राजनैतिक व्यवस्था एवं संविधान – मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव लोकसभा, राज्यसभा, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन–भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटनाएं (छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाट्यक्रम स्तर तक), भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तथा 1947 के बाद का घटनाक्रम, भूगोल–छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर तक सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थ व्यवस्था – सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम (छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर तक) सामान्य विज्ञान – छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर तक भौतिकी, रासायन शास्त्र एवं जीव तथा वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारी। समसामयिक घटनाक्रम खेलकूद, देश विदेश– राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारियां, घटनाएं खेल साहित्य।

छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी – छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनैतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था शासकीय योजनाएं, पुरस्कार–सम्मान, परम्परायें लोकगीत–संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय।

सचिव
छ.ग. राज्य सह. विप. संघ मर्या.,
रायपुर (छ.ग.)

:: भाग – ब ::

लेखापाल परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अवधि तथा प्रश्नों की संख्या

समय : 3.00 घंटे
प्रश्न संख्या : 150
प्रति प्रश्न : 01 अंक
कुल अंक : 150

पाठ्यक्रम –

लेखा संबंधी – लेखांकन की प्रणाली, बैंक समाधान का विवरण, तलपट व्यापार, लाभ–हानि खाता, विस्तृत विवरण, अपूर्ण लेखों का खाता मिलान, गैर व्यापारिक संस्थओं का लेखा बनाना, साझेदारी लेखा बनाना, संयुक्त साहस लेखा बनाना, कम्पनी संबंधी लेखा बनाना, लेखांकन का सैद्धांतिक आधार, अंतिम लेखे तैयार किया जाना, त्रिस्तंभी रोकड़ बही तैयार करना।

कम्प्यूटर ज्ञान संबंधी – कम्प्यूटर का उपयोग, कम्प्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिन्टर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माईक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत् वर्ड, एक्सल एवं पॉवर पाईन्ट की जानकारी, इन्टरनेट के उपयोग, ई–मेल, डाक्यूमेंट सर्चिंग वेबसाईट सर्चिंग, विभिन्न विभागों के वेबसाईट की सामान्य जानकारी, एन्टी वायरस का उपयोग, मल्टीमिडिया का उपयोग, सी.डी./डी.वी.डी. से संबंधित सामान्य जानकारी एवं गूगल, अलविस्ता, यू–ट्यूब की सामान्य जानकारी।

हिन्दी भाषा – स्वर व्यंजन वर्तनी, लिंग वचनकाल, संज्ञा, सर्वनाम विशेषण, क्रिया, किया विशेषण कारक, समास रचना एवं प्रकार, संधि–स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि, रस व अलंकार, दोहा, छंद सोरठा, व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द मुहावरें व लोकोक्तियां।

अंग्रेजी भाषा – Number Gender Articles pronoun adjectives verb adverb use of some important conjunctions use of some importnat preposition active/passive voice disrect/indirect narration synonyms/antonyms, one word substitution, spelling, proverb idioms and phrases.

गणित – प्राकृतिक/पूर्ण/पूर्णांक/परिमेय/अपरिमेय/वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियायें, संख्याओं का वर्ग, धन, गणनखण्ड, वर्गमूल, धनमूल एवं घातांक नियम, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवतर्त्य, भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रिया, औसत, चाल, समय, दूरी, बीजगणित–बीजगणित के मूलभूत नियमों/संक्रियाएं, एक चर एवं दो चर वाले रैखिक/युगपत समीकरण औसत चाल, समय, दूरी, अनुपात–समानुपात, प्रतिशत्, क्रय/विक्रय मूल्य, लाभ/हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भूज तथा वृत्त, गोला, बेलन शंकु धन, धनाभ

सामान्य ज्ञान – भारतीय राजनैतिक व्यवस्था एवं संविधान – मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव लोकसभा, राज्यसभा, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन – भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटनाएं (छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर तक), भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तथा 1947 के बाद का घटनाक्रम, भूगोल–छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर तक सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थ व्यवस्था – सामाजिक एवं आर्थिक

क्रमशः 7

विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम (छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर तक) सामान्य विज्ञान – छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर तक भौतिकी, रासायन शास्त्र एवं जीव तथा वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारी। समसामयिक घटनाक्रम खेलकूद, देश विदेश– राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारियां, घटनाएं खेल साहित्य।

छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी – छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनैतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था शासकीय योजनाएं, पुरस्कार–सम्मान, परम्परायें लोकगीत–संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय।

सचिव
छ.ग. राज्य सह. विप. संघ मर्या.,
रायपुर (छ.ग.)

क्रमशः 7